**संख्या- 5/569/पैंतीस-2-2014-3/16(22)/2012**

प्रेषक,

हरीश चन्द्र मित्रा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

**नियोजन अनुभाग-2** **लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2014**

विषय- **अर्थ एवं संख्या प्रभाग मुख्यालय के लिए कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में हुई बजट व्यवस्था रू0 61,17,000.00 की वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति एवं यू0पी0डेस्को को अग्रिम भुगतान के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 315/ले0-21/2006, दिनांक 05 मार्च, 2014 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोंपरान्त अर्थ एवं संख्या प्रभाग मुख्यालय में ''निदेशन एवं प्रशासन'' के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग में कम्प्यूटरों एवं सहवर्ती उपकरणों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में नई मांग के माध्यम से अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक ''3454-जनगणना सर्वेक्षण् और सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनागत-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-अर्थ एवं संख्या निदेशालय-46-कम्प्यूटर, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय'' मद में हुई बजट व्यवस्था रू0 61,17,000.00 (रू0 इकसठ लाख सत्तरह हजार मात्र) से एच0पी0/डेल/एच0सी0एल0 ब्रान्ड के 48 कम्प्यूटर, 48 यू0पी0एस0, 48 एण्टीवायरस साफ्टवेयर, 48 एम0एस0 आफिस साफ्टवेयर तथा 25 लेजर प्रिन्टर क्रय किये जाने की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृत के सापेक्ष शत-प्रतिशत धनराशि रू0 61,17,000.00 (रू0 इकसठ लाख सत्तरह हजार मात्र) यू0पी0डेस्को को भुगतान किये जाने हेतु अग्रिम आहरण किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) उक्त अग्रिम आहरण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: ए-1-2774/दस-15-1(1)69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या: ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 मे निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत शासनादेशों, नियमों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।
(4) धनराशि के व्यय के उपरान्त यदि कोई हानि होती है तो उसके लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदारी होगें।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- एफ0ए0-1-94/दस-14, दिनांक 25 मार्च, 2014 पर प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

**( हरीश चन्द्र मित्रा)**
संयुक्त सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

**संख्याः (1)/पैंतीस-2-2014-तद् दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग ) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी (पंचायते एवं सहकारी समितियां) इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण ) अनुभाग-5
6. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7. वित्त (आय- व्ययक ) अनुभाग-1
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा सें,

**( हरीश चन्द्र मित्रा)**
संयुक्त सचिव।

shasanadesh.up.nic.in